UPEW010019952026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा ।

उपस्थित–आलोक कुमार श्रीवास्तव, ...एच.जे.एस.

दण्ड प्रकीर्ण वाद संख्या–151/2026

CNR NO–UPEW010019952026

समीम बनाम गुलशन आदि।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना–कोतवाली,जिला–इटावा।

दिनांक–15.05.2026

1. पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुयी।

2. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) बी०एन०एस०एस०पर पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है।

3. आवेदिका की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन० एस०एस०विपक्षीगण गुलशन,मईनउद्दीन उर्फ लल्ला व नाजिम के विरूद्ध योजित किया गया है और याचना की गयी है कि मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने हेतु आदेश पारित किया जाये।

4. संक्षेप में आवेदिका का यह कथन है कि निवेदन है कि उसके पूर्व पति मुस्तकीम की मृत्यु हो जाने के बाद उसने अपने भविष्य को देखते हुये अमीनुद्दीन के साथ निकाह कर लिया है तथा मोहल्ला पथवरिया में किराये का कमरा लेकर रह रही है। कभी–कभी अपने मकान स्थित मोहल्ला नौरंगाबाद में आते जाते हैं जिसमें उसका व उसके पति का गृहस्थी का सामान रखा हुआ है। अमीनुद्दीन की पूर्व पत्नी गुलशन अमीनुद्दीन को छोड़कर वसिलसिले आशनायी बाहर भाग गयी है तथा चरित्रहीनता का परिचय देते हुये खुले आम वैश्यावृति करती है। दिनांक 25.03.2026 समय करीब 10:00 बजे रात्रि वह व उसके पति अमीनुद्दीन अपने मकान पर मौजूद थे,उसी समय गुलशन व उसका जेठ अमीनुददीन का बडा भाई व उनका पुत्र नाजिम एक राय व मंशा

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.18 12:55:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

से आये तथा भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां देते हुये एक दम से उसके कमरे में घुस आये तथा रंगदारी के रूप में 20,000/–रु० मांगने लगे तो उसने कहा कि उसके पति की दुकानदारी नहीं चल रही है उसके पति के पास 20,000/–रू० कहाँ से आये,इसी बात पर उपरोक्त विपक्षीगण उसके पति को कमरे के अन्दर ही लात–घूंसा व थप्पड़ों से बुरी तरह मारपीट करने लगे जब वह बचाने आयी तो नाजिम ने उसको बुरी नियत से पकड़ लिया तथा बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा और उसके विरोध करने पर सभी विपक्षीगण उसकी भी मारपीट करने लगे एवं नाजिम ने उसके गाल में दाँतों से काट लिया तथा विपक्षीगण ने उसकी एक सोने की अंगूठी व दो चांदी की अंगूठी एवं अमीनुद्दीन की पेंट की दाहिनी जेब में पड़े 4,900/–रू० लूट लिये। उसके रोने चिल्लाने पर मोहल्ले के तमाम लोग दौड़कर मौके पर आ गये,जिन्होंने कमरे के अन्दर व बाहर जल रहे बिजली के बल्व की रोशनी में घटना देखी तथा उन लोगों की जान बचायी और धमकी दी कि घर छोड़कर भाग जाओं वरना उन लोगों को जान से मार डालेंगे,जिन्दा नहीं छोड़ेगें। आवेदिका की ओर से यह भी कथन किया गया है कि विपक्षी नाजिम एक निहायत ही आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिस पर कई संगीन मुकदमे चल रहे हैं,उसकी व उसके परिवार की उपरोक्त विपक्षीगण किसी भी समय हत्या कर सकते हैं। डर की वजह से वह व उसके पति किराये के मकान मोहल्ला पथवरिया में चुपचाप जाकर छिप गये वहां पर भी विपक्षीगण ढूंढते रहे। डर की बजह से रात्रि में थाना कोतवाली रिपोर्ट लिखाने नहीं जा सके,सुबह दिनांक 26.03.2026 को थाना कोतवाली गये तो थाना पुलिस ने उसका व उसके पति अमीनुददीन का डॉक्टरी परीक्षण सदर अस्पताल इटावा में करवाया,जिसमें शरीर पर तमाम चोटें पायीं गयीं, जब थाना कोतवाली में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी,तब दिनांक 26.03.2026 को शिकायती प्रार्थनापत्र ऑनलाइन प्रणाली द्वारा श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इटावा व माननीय मुख्यमन्त्री महोदय उ०प्र० शासन लखनऊ व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय महिला आयोग नई दिल्ली को प्रेषित किये तथा दिनांक 28.03. 2026 पर जरिये रजिस्ट्री श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय इटावा व मा० राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय महिला आयोग नई दिल्ली प्रार्थनापत्र दिये उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त आधारों पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना कराये जाने की याचना की गई है।

5. आवेदिका की ओर से अपने कथनों के समर्थन प्रपत्र दाखिल किये गये है।

6. आवेदिका के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–173(4)बी०एन० एस०एस०के आलोक में थाना कोतवाली जिला इटावा से आख्या तलब की गयी। थाना कोतवाली जिला इटावा से प्रकरण के संबंध में विस्तृत जांच आख्या प्रस्तुत की गई। आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में थाने में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

7. प्रार्थनापत्र के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदिका समीम व विपक्षीगण गुलशन,मईनउद्दीन उर्फ लल्ला व नाजिम मोहल्ला नौरंगाबाद थाना कोतवाली जिला इटावा के निवासी हैं। आवेदिका समीम वर्तमान में मोहल्ला पथवरिया थाना कोतवाली में निवास कर रही है। आवेदिका अमीनुद्दीन की पत्नी है तथा विपक्षी गुलशन अमीनुद्दीन की पूर्व पत्नी है,मईनउद्दीन उर्फ लल्ला उसका जेठ है व नाजिम उसके जेठ का लड़का है। आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में दिनांक 25.03.2026 की घटना का उल्लेख करते हुये कथन किया गया है कि रात्रि 10:00 बजे जब वह व उसका पति अपने मकान में थे,विपक्षीगण एक राय मंशा से आये व मां बहन की गालियां देते हुए उसके उसके मकान में घुस आये और रंगदारी के रूप में 20,000/–रू० की मांग की,उसके मना करने पर उसके पति को लात घूसों व थप्पड़ों से मारापीटा तथा उसके बचाने आने पर विपक्षी नाजिम ने उसे बुरी नियत से पकड़ लिया और विरोध करने पर उसे भी मारापीटा तथा विपक्षीगणों ने सोने व चांदी की अंगूठी व रूपयों की लूट कारित की व जान से मारने की धमकी दी गयी।

8. आवेदिका द्वारा कथित मारपीट में आयी चोटों के सम्बन्ध में स्वंय व अपने पति की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट की प्रति दाखिल की गयी है,जिसमें उसके एक चोट व उसके पति अमीनुद्दीन के तीन चोटें आना दर्शाया गया है। उक्त चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 26.03.2026 को कराये गये, जबकि घटना दिनांक 25.03.2026 की बतायी गयी है। आवेदिका को विपक्षीगण के नाम व पता की जानकारी है। मामला पारिवारिक विवाद का दर्शित होता है। सभी तथ्य आवेदिका के संज्ञान में है जिसे वह स्वयं साक्ष्य के द्वारा साबित कर सकती है। गवाह के नाम का भी उल्लेख आवेदिका द्वारा किया गया है। मामले में पुलिस से विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत

नहीं होता है।

9. अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की विधि व्यवस्था **श्रीमती मोना पवार बनाम माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद व अन्य क्रिमिनल अपील संख्या–298/2011,निर्णय दिनांकित 02.02.2011 तथा एलिक पदमसी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (एस.सी.) 2007 (59)ए.सी.सी. 247 सुखवासी बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2007 (59) ए.सी.सी. 739** में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुरूप,प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जाना उचित होगा। धारा–223 बी०एन० एस०एस०के परन्तुक तथा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था प्रतीक अग्रवाल प्रति उ०प्र०राज्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–482 द० प्र०संहिता संख्या–10390/2024 के अनुशरण में परिवादी/साक्षीगण के बयान के उपरान्त ही विपक्षीगण को सुनवायी का अवसर दिया जायेगा।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है ।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 30.05.2026 को पेश हो।

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

J.O.Code No–1546